Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Media

Press Release 31-10-2025

बिहार विधानसभा आम चुनाव- 2025 के सुचारू संचालन हेतु 348 पर्यवेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की – निर्वाचन आयोग (ECI)

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आज बिहार विधान सभा के आम चुनाव, 2025 के दोनों चरणों के लिए तैनात किए गए 348 पर्यवेक्षकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस (VC) आयोजित की।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) श्री ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर मतदाताओं को मतदान के दिन सुखद और सहज अनुभव सुनिश्चित करने हेतु मतदाता-सुविधा संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की।

आयोग ने एक व्यापक समीक्षा में आदर्श आचार संहिता (MCC) के पालन, सीमा चौकियों की स्थिति, फेक न्यूज़/भ्रामक जानकारी पर समय पर अंकुश, सक्रिय सूचना प्रसार, संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान और सुरक्षा उपायों, 1950 टोल-फ्री नंबर के माध्यम से शिकायत निवारण, c-VIGIL मामलों के निपटान और EVM स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया।

आयोग ने पर्यवेक्षकों को यह भी निर्देश दिया कि वे कानून-व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें तथा सभी लाइसेंसी हथियारों का पूर्ण जमा होना और अवैध हथियारों की जब्ती को सुनिश्चित करें।

आयोग ने अपनी हाल की पहलों की प्रगति की स्थिति की भी समीक्षा की, जिनमें मोबाइल फोन जमा सुविधा, नव-निर्मित मतदाता सूचना पर्चियाँ (VIS), ECINet ऐप और उसकी विभिन्न सेवाओं का प्रचार-प्रसार, 100% मतदान केंद्रों का वेबकास्टिंग, और मतदान प्रतिशत के दो घंटे के अंतराल पर रिपोर्ट जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं।

चरण 1 के लिए आयोग ने 121 सामान्य पर्यवेक्षक, 18 पुलिस पर्यवेक्षक, और 33 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए हैं, जबकि चरण 2 के लिए 122 सामान्य पर्यवेक्षक, 20 पुलिस पर्यवेक्षक, और 34 व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

आयोग ने पर्यवेक्षकों से यह भी कहा कि वे सुनिश्चित करें कि चुनावी मशीनरी मतदाताओं के लिए एक उत्सवमय माहौल बनाए, जिससे अधिक से अधिक मतदाता मतदान के लिए बाहर निकलें।

Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Media

Press Release **31-10-2025**

जिला निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण में सहयोग करने की अपील राजनैतिक दल प्रतिनिधियों को दी विस्तृत जानकारी
बीएलओ एप पर मैपिंग हो चुके मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी

अलवर 31 अक्टूबर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एसआईआर में सहयोग देने की अपील की ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो।

4 नवम्बर से भरे जाएंगे गणना प्रपत्र

जिला कलक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम आरम्भ हो चुका है। इसके अतंर्गत 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक गणना प्रपत्र भरे जाएंगे। 9 दिसम्बर को मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। 9 दिसम्बर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियों की अवधि निर्धारित की गई है। 9 दिसम्बर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण रहेगा एवं 7 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

बीएलओ का करें पूर्ण सहयोग

उन्होंने बताया कि मतदाताओं की मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। जिले में यह कार्य 61.62 फीसदी से अधिक पूरा हो चुका है। बीएलओ प्रत्येक मौजूदा मतदाता को घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (ईएफ) वितरित करेंगे और भरा हुआ प्रपत्र वापस प्राप्त करेंगे। मतदाता को अपने नाम या अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान/लिंक

करने में मदद करेंगे जो कि वर्ष 2002 में आयोजित विगत एसआईआर में थे। उन्होंने मतदाता से इस कार्य में बीएलओ का पूर्ण सहयोग कर वांछित जानकारी उपलब्ध करवाने की अपील करते हुए बताया कि मतदाता, विशेष रूप से शहरी मतदाता/अस्थायी प्रवासी, ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सभी निर्वाचकों को अपना नवीनतम रंगीन फोटो गणना प्रपत्र में चिपकाना होगा। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि जिन मतदाताओं की बीएलओ ऐप पर मैपिंग हो चुकी है ऐसे मतदाताओं को कोई भी आवश्यक दस्तावेज दिए जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

गणना प्रपत्र प्राप्त होने वाले मतदाताओं के नाम होंगे ड्राफ्ट में शामिल

उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त होंगे, उन सभी के नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट में सम्मिलित किए जाएंगे। उन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे जिनके नाम विगत एसआईआर मेल से मेल नहीं खा पाए या लिंक नहीं हो पाए। ऐसे मामलों की सुनवाई कर अंतिम मतदाता सूची में उनके नाम शामिल करने या निकालने की कार्यवाही की जाएगी। ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत/डुप्लीकेट नामों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाइट एवं सार्वजनिक कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी। कोई भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का बीएलए दावा या आपत्ति दर्ज करवा सकता है।

सहायता के लिए लगाए जाएंगे वॉलिंटियर्स

उन्होंने बताया कि मतदाताओं विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर समूहों को गणना प्रपत्र भरने में सुविधा के लिए वॉलिंटियर्स को नियोजित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर हेल्पडेस्क स्थापित की जा रही है जो आमजन की सहायतार्थ आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को ईएफ फॉर्म भरवाने में सहयोग करने हेतु प्रत्येक मतदान

केंद्र पर चार वॉलंटियर्स एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में 2-2 हैल्पडेस्क की स्थापना किए जाने के बारे में अवगत कराया।

मतदाता ऑनलाइन भर सकते हैं ईएफ फॉर्म

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को ईएफ फॉर्म ऑनलाइन भरने की सुविधा प्रदान की गई है जो https://Voters.Eci.Gov.in पर फाइल किए जा सकेंगे। साथ ही ईएफ पर उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ऑनलाइन ईएफ सबमिट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीएलए-2 से अपेक्षा रहेगी कि वे ईएफ भरने एवं अधिकाधिक संख्या में ईएफ ऑनलाइन सबमिट करने में मतदाताओं का सहयोग करें।

राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए-1 एवं बीएलए-2 का 1 नवम्बर को होगा प्रशिक्षण

उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए गए बीएलए-1 एवं समस्त मतदान केंद्रों पर नियुक्त किए गए बीएलए-2 को 1 नवम्बर 2025 को प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि इस प्रशिक्षण में राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त सभी बीएलए-1 एवं बीएलए-2 को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर प्रशिक्षण लेवे। इस पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा बीएलए-1 एवं बीएलए-2 के प्रशिक्षण में उपस्थिति हेतु आश्वस्त किया गया।

राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा के उपरान्त बीएलए-2 से मतदान केंद्र हेतु नियोजित बीएलओ को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गई। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को सरल बताते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को शुद्ध व स्वच्छ बनाए जाने हेतु इस कार्यक्रम के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई तथा बीएलए-2 को मतदाता एवं बीएलओ की सहायता तथा पुनरीक्षण कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग हेतु आश्वस्त किया गया।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मुकेश कायथवाल, एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री योगेश मिश्रा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता श्री रिपुदमन गुप्ता, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री जगन्नाथ गोयल, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कमरचंद अलवरिया, बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव श्री मनोज गौतम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।